

केलाशविर्दे वनाम शिक्ती एस्ती (कैसा)

रूम मुकदमा 9A-पत्र 111-128 नं० 98 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

24

वाद / प्राथनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 18.1.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

82/ उपर्युक्त उपस्थित पीलासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है। पत्रावली दि 29/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

3/9/22

पत्रावली पेश हुई, कमील प्रार्थीगण उपस्थित प्रतिवादीगण के तामिल बाद होकर प्राप्त हुए जिले शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगापर 80 को बितकी मर्तबा आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। बहसीलशर मोडल से मौका द्विवाट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण को बितकी मर्तबा आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके बिकट स्थ तरफा कार्यवाही किये जाने का शोइय दिपाजात है। वहील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही, बहस सुनीगयी। वहील प्रार्थीगण का शरण स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रावली लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फलतः शुभर होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

मोटासोन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 98/21 प्राण्य

1- श्री कैलाशसिंह डी. श्री उहा दरोण निवासी - भोजपुरा तहसील - माण्डल (बीरा)

- प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती डाली पं. श्री नामू वैरवा निवासी - भोजपुरा तहसील - माण्डल (बीरा)
पृष्ठांकित प्रा.पत्र संख्या
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-3-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का रड्डूका तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठांकित प्रा.पत्र संख्या कुल किता 17 रकबा 4-8689 हैक्टर विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-01-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का रड्डूका तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठांकित प्रा.पत्र संख्या कुल किता 17 रकबा 4-8689 हैक्टर विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीयास को 2000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा